उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
सं0- 18 /2022/1234/तीस-4-2022-9(1)/2008 टीसी-1
लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा 2(क) के अधीन अधिरोपित कर एवं धारा 6 के अधीन अधिरोपित अतिरिक्त कर के संदाय से निम्नलिखित श्रेणियों के यानों को छूट प्रदान करती हैं:-

(1) शैक्षणिक संस्था यान।

(2) राज्य परिवहन उपक्रमों की समस्त मंजिली बसें (नगर बस सेवाओं सहित) ।

ऐसी छूट केवल उन्ही यानों के लिए अनुज्ञात होगी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (उत्तर प्रदेश से भिन्न) में रजिस्ट्रीकृत हैं और पारस्परिक सामान्य परिवहन करार, 2021 की निबन्धन और शर्तो के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) की सीमाओं के भीतर अनन्य रूप से संचालित हैं।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.18/2022/1234/XXX-4-2022-9(1)/2008 TC-I, dated 28 July, 2022

Notification

No. 18/2022/1234/XXX-4-2022-9(1)/2008 TC-I
Lucknow: Dated 28 July, 2022

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 (UP Act No. 21 of 1997), the Governor is pleased to exempt from payment of tax imposed under sub-section 2(A) of section 4 and additional tax under section 6 of Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 for the following categories of Vehicles:-

(1) Educational Institution Vehicles,
(2) All stage carriage buses of state Transport undertakings (including city bus services).

Such exemption shall be allowed only to those vehicles which are registered in NCR (other than Uttar Pradesh) and plying exclusively within the limits of National Capital Region under the terms and condition of Reciprocal Common Transport Agreement, 2021.

By order,

L.Venkateshwar Lu
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-18/2022/1234(1)/तीस-4-2022-9(1)/2008टीसी-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-18/2022/1234(2)/ तीस-4-2022-9(1)/2008टीसी-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 28 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-18/2022/1234(3)/ तीस-4-2022-9(1)/2008टीसी-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6- सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।